रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No.D.(D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 27 NOV 1978

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 11, 1978/कार्तिक 20, 1900
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 1978/KARTIKA 20, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1978

सा० का० नि० 1320.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8 ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 8 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
8. तमिलनाडु	
(क) उच्च न्यायालय, मद्रास	(i) श्री टी चेंगलवरायन, केन्द्रीय सरकार के ज्येष्ठ स्टैंडिंग कौंसेल।
	(ii) श्री के० एन० बालसुब्रमण्यम, केन्द्रीय सरकार के अपर स्टैंडिंग कौंसेल।
	(iii) मिस राधा श्रीनिवासन, केन्द्रीय सरकार की अपर स्टैंडिंग कौंसेल।
	(iv) श्री के० स्वामीदुरै, केन्द्रीय सरकार के अपर स्टैंडिंग कौंसेल।
	(v) च० प्रभाकर राव, अपर विधि सलाहकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, शाखा सचिवालय, मद्रास।
	(vi) श्री जी० एन० श्रीनिवासन, सहायक विधि सलाहकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, शाखा सचिवालय, मद्रास।
	(vii) श्री एम० रघुचन्दर, सहायक विधि सलाहकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, शाखा सचिवालय, मद्रास।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1978

सा०का०नि० 1350—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती नियमावली, 1963 में संशोधन से संबंधित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 570 दिनांक 12 अप्रैल, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, नियम 1 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) इन नियमों को 16 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त हुआ माना जाएगा।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

पूर्व-व्याप्ति प्रभाव देने का कारण अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 570 दिनांक 12 अप्रैल, 1978 के साथ लगे व्याख्यात्मक ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था।

[संख्या 12018/(5)/76—बी (ए)]

एम०एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 24th October, 1978

G.S.R. 1350.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 570 dated the 12th April, 1978, relating to the amendment to the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. In the said notification, for sub-rule (2) of rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) They shall be deemed to have come into force on the 16th day of February 1978".

Explanatory Memorandum :

The reason for giving retrospective effect had been explained in the Explanatory Memorandum appended to notification No. G.S.R. 570 dated 12th April, 1978.

[No. 12018/(5)/76-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 1351.—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया) नियम, 1978 है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37);

(ख) 'सचिव' से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन नियुक्त परिषद् का सचिव;

(ग) 'धारा' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. परिषद् की सदस्यता के लिए नामों के पैनलों का आमंत्रण :—(1) प्रथम परिषद् की दशा में केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चावर्ती परिषद् की दशा में पूर्ववर्ती परिषद् का सेवा-निवृत्त होने वाला अध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संस्थाओं या संस्थाओं और समाचार एजेंसियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा इस निमित्त सूचना भेजकर नामों का पैनल आमंत्रित करेगा, और सूचना में उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे, पैनल में सम्मिलित नामों के सम्बन्ध में निम्नविनिर्दिष्ट विशेषताएं दें :—

(1) व्यक्ति का नाम;

(2) प्रवर्ग, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है;

(क) सम्पादक;

(ख) सम्पादक से भिन्न, श्रमजीवी पत्रकार;

(ग) किसी समाचार पत्र का स्वामी या प्रबन्धक; या

(घ) समाचार एजेंसी;

(3) उस समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी का नाम और भाषा जिस में, यथास्थिति, वह नियोजित है या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और कि वह समाचार-पत्र बड़ा है या मध्यम या छोटा; (पिछले एक वर्ष के सभी संस्करणों के कुल परिचलन से सम्बन्धित आंकड़े);

(4) समाचार-पत्र के प्रकाशन का स्थान;

(5) यदि वह श्रमजीवी पत्रकार है,

(क) क्या वह किसी समाचार-पत्र का स्वामी है या किसी समाचार पत्र के प्रबन्ध का कारबार कर रहा है;

(ख) उसी नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन उस समाचार-पत्र या उन समाचार-पत्रों के समूह, यदि कोई हो, का नाम जिससे वह सम्बन्धित है या जिसमें वह हितबद्ध है;

(6) अधिमान क्रम; और

(7) कोई अन्य सूचना।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में यह कथित होगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख (जो किसी भी दशा में, इस सूचना की तारीख से बीस दिन की अवधि से पूर्व नहीं होगी) के पश्चात् प्राप्त नामों के पैनलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) नामों के पैनलों पर, संस्था या समाचार एजेंसियों द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4. सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए प्रक्रिया :—नियम 3 के अधीन यथास्थिति, संस्थाओं या संस्थाओं और समाचार एजेंसियों द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनलों में से, धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों का नाम निर्देशन, उस उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) वह/वे व्यक्ति जो यथास्थिति, क्रमशः उन सभी संस्थाओं या समाचार एजेंसियों द्वारा सिफारिश किए गए हैं, पहले उस उपधारा के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु यदि इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक प्रवर्ग में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या से अधिक हो तो अपेक्षित संख्या, इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से लाटरी निकालकर नामनिर्दिष्ट की जाएगी;